

6. 1-इन उपविधि के तहत अनुज्ञाति के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार रु० 500/- प्रतिपशु व नलीनीकरण की स्थिति में रु० 300/- प्रतिपशु निर्धारित है। 2- उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोस्टरन/गौशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।
7. उत्तराखण्ड के तहत जारी की गयी हर अनुज्ञाति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्-
(क) प्रत्येक दुग्धशाला के फर्श को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। (ख) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक रखाओं में जैसे-तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था मुनिस्थित की जायेगी। (ग) डेरी स्वामी को अपनी डेरी से उत्पन्न गोबर के निस्सारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञाति अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा व गोबर को सीवर में अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनकर अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पाद बनाने वाले उत्क्रम को दिया जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्सारण ही मान्य होगा। गोबर के निस्सारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उत्तराखण्ड का शपथ-पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। (घ) अनुज्ञातिप्राप्ती अनुज्ञाति अधिकारी को किसी भी संक्रमक रोग के बारे में तुलना सूचित कराना एवं अपने संयंत्र/राज्य पशुवैजिकशा परिषद से पंजीकृत पशुवैजिकशा से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा।
8. दुग्धशाला के सभी पशुओं को माइक्रोबिय लतावाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की सतहों का रिकार्ड समस्त डेरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़कों पर अथवा अपने परिवार के बाहर खुला छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जानें पर रु० 2000/- प्रतिपशु प्रतिदिन/उत्तराखण्ड गौवध संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
10. सेबाजोखा (रिकॉर्ड) रखना- व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रयोजन युक्त पंजीका में अलिखितों का सेबाजोखा रखा जायेगा। (ख) पशुओं का नर्माधान/नस्त का विवरण। (घ) कृषिपशु रक्षण का विवरण। (ङ) पशुओं का नर्माधान/नस्त का विवरण। (च) पशुओं का विवरण। (क) निर्धारित प्रयत्न के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण। (ख) पशुओं का पशुवैजिकशा स्वास्थ्य का विवरण। (ग) पशुओं के टीकाकरण/टीकाइड का विवरण। (घ) पशुओं के टीकाकरण/टीकाइड का विवरण। (ङ) पशुओं का नर्माधान/नस्त का विवरण। (च) पशुओं के कृष-विक्रम का विवरण।
11. कोई भी डेरी स्वामी अनुज्ञाति अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, डेरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकता।
12. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रद्द की गयी अनुज्ञाति के निस्तीकरण को पुनर्जीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के सम्मत् अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञाति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दो बार निस्ती की गयी किसी अनुज्ञाति को किसी भी दशा में पुनर्जीवित नहीं कराया जा सकता। उत्तराखण्ड के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निस्तीकरण के एक माह तक होगी। यदि पशुपालक उत्तमवर्त अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निस्तीकरण किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम के पशुवैजिकशा अधिकारी कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उत्तमवर्त अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

दिनांक 25/07/2022

मनुज गोवाल (ब्राह्मणरक्षक)
नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक- 93(VA)

1. सम्पादक रि पाइनिंगर (देहरादून संस्करण) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दलों में निश्चित परिशत छूट देते हुए सामान्य पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक राष्ट्रीय सहाय (देहरादून संस्करण) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दलों में निश्चित परिशत छूट देते हुए सामान्य पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आईटीओ अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना नगर निगम, देहरादून की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

वरिष्ठ पशुवैजिकशा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

समस्या के
11.06.22
त कि ये ग
शरित की

rkets, S
रों के र

स्वामियों

पाम/र
रिसरों

अनियम
1 जाने

नर्गत

पंजीव
न दे
अनु
न है

बिन